कार्यालय :– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक 1720/जि0वि0से0प्रा0/2026 भोपाल, दिनांक 24/06/2026

''आम–सूचना''

माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क्रमांक 126 दिनांक 09.04.2026 के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुदान अन्तर्गत प्रदत्त बहुउपयोगी वाहन के लिए एक वाहन चालक की संविदा नियुक्ति अनुबंध व मानदेय आधार पर 02 वर्ष के लिये किये जाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क्रं0	पद का नाम	स्वीकृत पद की संख्या	मानदेय	न्यूनतम योग्यता	आवेदन पत्र करने की प्रारंभिक तिथि	आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि
1	वाहन चालक	01	14,000/– प्रतिमाह	1. मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं पास हो 2. वैध ड्राइविंग लाईसेंस हो 3. लाईट मोटर वाहन को चलाने का अनुभव हो 4. ऐसे अभ्यर्थी जो योग्य मैकेनिक है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।	30.06.2026	15.07.2026

उपरोक्तानुसार मानदेय के आधार पर वाहन चालक के नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार शर्ते निर्धारित की जाती हैः–

1. भर्ती मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम 2009 के नियम 6(2) के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता एवं शर्तो के अनुसार की जावेगी।

2. यह संविदा नियुक्ति हेतु अनुबंध प्रारंभ में 02 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन, अच्छे आचरण और निरंतरता की आवश्यकता के आधार पर तत्पश्चात एक वर्ष के लिए बढाया जा सकेगा संविदा अवधि के पश्चात नियमित नियुक्ति या निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा।

3. संविदा चालक की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने या अन्य प्रशासनिक स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा वाहन चालक भी एक माह का पूर्व नोटिस देकर या एक माह के वेतन के बराबर राशि जमा किया जाकर त्यागपत्र दे सकेगा।

4. संविदा चालक के कार्यो की समीक्षा समय–समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जावेगी और संतोषजनक प्रदर्शन न किये जाने तथा अनुशासन के अनुरूप न पाये जाने पर अनुबंध की निरन्तरता या विस्तार किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

5. संविदा चालक की नियुक्ति की संपूर्ण कार्यवाही प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार की जावेगी।

6. संविदा चालक को एक कलेण्डर वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

7. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य आवश्यक है । (01.01.2026 की स्थति में)

आवेदन पत्र का प्रेषण –

आवेदक अपना आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं दो नवीन रंगीन फोटो के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन पत्र भेजा जा रहा है, उस पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला भोपाल के नाम से संबोधित करते हुए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, जिला न्यायालय के पीछे, अरेरा हिल्स भोपाल में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन माध्यम से प्रेषित आवेदन (व्हाटसप, ई–मेल इत्यादि द्वारा) मान्य नही किये जायेगे । निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं कोई पत्राचार भी मान्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों का निरस्त माना जाएगा।

नोट :– 1. भर्ती पूर्णतः संविदा आधारित अनुबंध पर होने से नियमित सरकारी पदों या सरकारी वेतन, भत्ते या सुविधा के लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। भर्ती मानदेय के आधार पर है, वेतन के आधार पर नहीं। उक्त पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार दिनांक की सूचना पृथक से जारी की जावेगी।
2.साक्षात्कार की सूचना जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाईट एवं समाचार पत्र के माध्यम से पृथक से दी जावेगी ।

संलग्नः– आवेदन पत्र का प्रारूप

माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
भोपाल ।

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी महोदय, नजारत अनुविभाग, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल की ओर आमसूचना जिला न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा करवाने हेतु ।
2. श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय, कम्प्यूटर अनुभाग जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल म.प्र. की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आमसूचना को जिला न्यायालय भोपाल की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करे ।
3. संचालक रोजगार कार्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला जनसंपर्क कार्यालय भोपाल म.प्र. की ओर उक्त आमसूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाने हेतु प्रेषित ।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
भोपाल ।

आवेदन–पत्र का प्रारूप

"जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल (म0प्र0) में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुदान अन्तर्गत बहुउपयोगी वाहन के लिये संविदा आधार पर वाहन चालक की नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र"

स्वंप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चस्पा करें।

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम :
...
2. पिता/पति का नाम :
...
3. जन्मतिथि : दिनांक.....
 आयु (**01.01.2026** की स्थिति मे) : वर्ष.....माह.....दिन
.
4. लिंग/Sex : पुरूष / महिला/ अन्य
5. श्रेणी/कैटेगरी : अनु.जाति/अनु. जनजाति/पिछडा वर्ग/सामान्य
6. क्या आप म. प्र. के मूलनिवासी हैं : हॉ / नहीं
7. वर्तमान निवास का पूरा पता :

 जिला(म0प्र0),पिनकोड
8. स्थाई पता :

 जिला.....(म0प्र0),पिनकोड
9. मोबाईल नंबर/व्हाट्सएप नंबर : मोबाइल नंबर.....
 E-mail ID :
10. ड्रायविंग लायसेंस नंबर :
...
 वाहन केटेगरी एलएमव्ही./एलटीव्ही./एचटीव्ही/एचपीव्ही/कमर्शियल आदि
 (छायाप्रति संलग्न करें)
11. आधार कार्ड नंबर :
 (छायाप्रति संलग्न करें)
12. शैक्षणिक योग्यतायें :
.

क्र.	कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	प्रतिशत
01	10वी.			
02	12वी.			
03	स्नातक/स्नातकोत्तर			
04	अन्य शैक्षणिक योग्यता			
05	मैकनिकल योग्यता			

आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योगयता अनुसार अंकसूची/डिग्री/डिप्लोमा की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

13. **कार्य अनुभव :–**

आवेदक के पास कोई कार्य अनुभव हो, तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

14. दर्ज आपराधिक प्रकरण या पूर्व में किसी अन्य सेवा से पृथक किया जाने संबंधी जानकारी

.....

स्व घोषणा पत्र

मैं.....शपथ पूर्वक घोषणा करता /करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी एवं जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा इस आधार पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का संबंधित विभाग को पूर्ण अधिकार होगा ।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
व नाम